

न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

रिवीजन संख्या-61/2012-13

अन्तर्गत धारा-219 भू0रा0अधि0

बद्रीप्रसाद पुत्र स्व0 श्याम लाल, निवासी-ग्राम कौलागढ़, परगना केन्द्र, देहरादून।

बनाम

1- सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून, 2. कलेक्टर, देहरादून, 3. चन्द्र सिंह नेगी पुत्र जी0एस0 नेगी, निवासी-धर्मपुर डांडा, परगना परवादून, जिला देहरादून, 4. गांव सभा, ईस्ट होप टाउन, परगना पछवादून, देहरादून द्वारा ग्राम प्रधान।

उपस्थित : श्री एस0 रामास्वामी, मा0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री विजय कुमार गुप्ता।

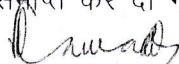
अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री विनोद कुमार डिमरी, जि0शा0अधि0, राजस्व।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता बद्रीप्रसाद ने सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून द्वारा वाद संख्या-56 वर्ष 2012-13 बद्रीप्रसाद बनाम सरकार अन्तर्गत धारा-54 भू0रा0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 25-03-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानीकर्ता बद्रीप्रसाद ने विक्रय पत्र दिनांक 07-10-1988 के द्वारा देवी सिंह पुत्र मंसाराम से भूमि खसरा नं0-1688/0.49 है0 व 1690/0.198 है0 कुल क्षेत्रफल 0.247 है0 क्रय किया गया जिसका नामान्तरण तहसीलदार के आदेश दिनांक 29-06-1992 से निगरानीकर्ता के नाम हुआ लेकिन बाद में आदेश दिनांक 01-09-1992 से नामान्तरण आदेश दिनांक निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता ने सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून के समक्ष अन्तर्गत धारा-54 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत वाद योजित किया जिसे विधिवत सुनने के उपरान्त विद्वान सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 15-06-2006 से नामान्तरण आदेश दिनांक 29-06-1992 को यथावत रखा।

आदेश दिनांक 15-06-2006 के विरुद्ध चन्द्र सिंह नेगी उत्तरदाता संख्या-3 ने अभिलेख अधिकारी, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान अभिलेख अधिकारी, देहरादून ने आदेश दिनांक 18-07-2007 स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस किया कि क्रेता एवं विक्रेता को विधिवत सुनने के उपरान्त वाद का गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाय। लेकिन विद्वान सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून ने आक्षेपित आदेश दिनांक 25-03-2013 से क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

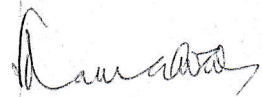


उत्तरदाता के अधिवक्ता द्वारा निगरानी में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13-08-2013 को सुनवाई हेतु अन्य तिथि दिये जाने का प्रस्तुत तो किया गया है लेकिन तब से वे निगरानी में पैरवी नहीं कर रहे हैं। तदनुसार यह निगरानी एकपक्षीय रूप से निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनकर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निस्तारित की जा रही है।

आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून ने वाद की कार्यवाही सम्बन्धित ग्राम की पर्ची खतोनी वितरण कार्य प्रारम्भ न होने व न्यायालय का क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गई जबकि विद्वान अभिलेख अधिकारी, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 18-07-2007 से स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि क्रेता व विक्रेता को विधिवत सुनकर वाद का गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाय। तदनुसार विद्वान सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून ने वाद की कार्यवाही समाप्त कर न्याय का मार्ग ही बन्द कर दिया। यदि उन्हें वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था तो उन्हें चाहिए था कि प्रकरण सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी/सक्षम अधिकारी को सन्दर्भित करते लेकिन उनके द्वारा वाद की कार्यवाही ही समाप्त कर प्रकरण को अनिस्तारित छोड़ दिया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के दृष्टिगत विधिसम्मत नहीं है क्योंकि किसी भी कार्यवाही की अंतिम परिणति आवश्यक है। तदनुसार आक्षेपित आदेश तात्त्विक एवं विधिक अनियमितता के ग्रसित होने के दृष्टिगत अपास्त होने तथा निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

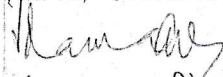
निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 25-03-2013 अपास्त कर प्रकरण विद्वान तहसीलदार, विकासनगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में विधिवत पक्षकारों को सुनने व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर वाद का गुण दोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण करें। पक्षकार दिनांक 29-12-2017 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस की जाएं।



(एस0रामास्वामी)

अध्यक्ष।

आज दिनांक 08-12-2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।



(एस0रामास्वामी)

अध्यक्ष।